(112)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये

Rs-30/

श्रीनिवास मुड़हा तनय श्री मंगलदीन मुड़हा निवासी शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

RS237-II/16

---निगरानीकर्ता

श्री सुरेन्द्र सिंह तिवारी द्वारा आज प्रस्तुत किया 26-5-16

बनाम

सर्किट कोर्ट रीवा

1. जगन्नाथ प्रसाद तनय देवीदीन मुड़हा (मृत) जरिए वारिसान गुड़िया देवी पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ मुड़हा निवासी शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0
2. छकौड़ी तनय रामदत्त मुड़हा
3. लक्ष्मण तनय विश्वनाथ मुड़हा
4. किशोरा तनय रामसेवक मुड़हा,
5. श्रीमती नीलिमा तिवारी पत्नी श्री अजय तिवारी उम्र 38 वर्ष
6. अजय तिवारी तनय श्री केशव प्रसाद तिवारी उम्र 40 वर्ष

सभी निवासीगण ग्राम शाह तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

---गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (श्री के.पी.राही जी) के प्रकरण क्रमांक 217/अपील/2005-06 आदेश दिनांक 05.05.16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5237–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक अभिभाषक एवं अनॅावेदक केवीॅयेकटकर्ता अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 217/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 05–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश में बटवारा पुल्ली पर सभी पक्षों की सहमति से पारित नामांतरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा है। अपर आयुक्त ने विस्तार से विवेचना कर यह भी निष्कर्ष निकाला है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद को दो बार निरस्त करते हुये नामांतरण को उचित माना है। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील को खारिज किया है। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	